का. कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.)
23 MAY 2012
अधीक्षक कलेक्टर

191

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर
// आदेश //

रायपुर, दिनांक 01-05-2012

कार्यालय जिला पंचायत (DRDA) बिलासपुर (छ.ग.)
28 MAY 2012
शाखा अधीक्षक

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/2012/ राज्य शासन द्वारा शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को निम्नानुसार समयमान वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क.	शिक्षक (पंचायत) संवर्ग	समयमान वेतनमान
1	सहायक शिक्षक (पंचायत)	रू. 5000–150–20000+अध्यापन भत्ता 2500
2	शिक्षक (पंचायत)	रू. 6000–175–25000+अध्यापन भत्ता 3500
3	व्याख्याता (पंचायत)	रू. 7000–200–30000+अध्यापन भत्ता 4500

1/ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों, जो स्नातक हैं, उन्हें 01.04.2012 की स्थिति में सात वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर एवं गैर स्नातक शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के शिक्षकों को दस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर उक्त समयमान वेतनमान देय होगा।

2/ समयमान वेतनमान में मूल वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को दिनांक 01.04.2012 से 51 प्रतिशत की दर पर मंहगाई भत्ता प्रदान किया जायेगा। वित्त विभाग की अनुमति से समय–समय पर मंहगाई भत्तें में वृद्धि की जावेगी । स्पष्ट किया जाता है, कि मूल वेतन पर 51 प्रतिशत मंहगाई भत्तें की गणना की जायेगी ।

3/ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग स्नातक सातें वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले उपर दर्शित वेतनमान के सबसे निचले स्तर पर निर्धारित होंगे। सात वर्ष से अधिक की प्रत्येक एक वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए समयमान वेतनमान की एक वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगा।

All 2012 m sir govt.

गैर स्नातक शिक्षक (पंचायत) संवर्ग, दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद [illegible] वेतनमान के सबसे निचले स्तर पर निर्धारित किये जायेंगे तथा दस वर्ष से अधिक की प्रत्येक एक वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए समयमान वेतनमान की एक वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगा ।

5/ सात वर्ष से कम सेवा के स्नातक शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को वर्तमान में दिया जा रहा वेतनमान, अंतरिम राहत सहित पूर्ववत् लागू रहेगा। इन शिक्षकों की सात वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान के लिए निर्धारित शर्तो के अधीन पात्रता होगी।

6/ दस वर्ष से कम सेवा के गैर स्नातक शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को वर्तमान में दिया जा रहा वेतनमान, अंतरिम राहत सहित पूर्ववत् लागू रहेगा। इन शिक्षकों की दस वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वे समयमान वेतनमान के लिए निर्धारित शर्तो के अधीन पात्र होंगे।

7/ उक्त समयमान वेतनमान निम्नलिखित शर्तो के तहत देय होगा :–

1. उपरोक्तानुसार सात वर्ष एवं दस वर्ष की सेवा अवधि में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के जिन शिक्षकों ने निरंतर शैक्षणिक कार्य किया हो ।
2. प्रश्नाधीन अवधि में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के संबंधित शिक्षक किसी प्रकार से दण्डित न हुआ हो।
3. समयमान वेतनमान पिछले पांच वर्षो की गोपनीय चरित्रवाली के आधार पर देय होगा। शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के संबंधित शिक्षक की औसत ग्रेडिंग "ख" से कम न हो तथा विचाराधीन अंतिम वर्ष की ग्रेडिंग अनिवार्य रूप से कम से कम "ख" हो।
4. समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के लिये जनपद पंचायत/जिला पंचायत स्तर पर छानबीन समिति बनाकर उपरोक्त शर्तो का

परीक्षण कराया जाये। परीक्षणोपरांत संबंधित जनपद/जिला पंचायत उपरोक्त शर्तो की पूर्ति करने वाले शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के शिक्षकों को समयमान वेतनमान देने का लाभ दिया जाय।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्र. 98/664/2012/वि./नि./चार/उस, दिनांक 20/04/2012 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. सिंह)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/2012/3598 रायपुर, दिनांक 01-05-2012

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग/नगरीय प्रशासन विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग/नगरीय प्रशासन विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

6. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ ।

9. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु

10. समस्त संयुक्त/उपसंचालक पंचायत एवं समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

11. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग